न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, शाहजहांपुर।
सत्र परीक्षण सं0–386 से सत्र परीक्षण सं0–391/2015

राज्य बनाम अनूप कुमार आदि,
धारा–147,148,149,324,323,504,307,302 भा0दं0सं0,
थाना–निगोही, जिला शाहजहॉपुर।

दि0:–06.01.2021,

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं। प्रार्थना पत्र 71ख, आपत्ति 72ख तथा प्रार्थना पत्र 75ख पर अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता श्री जे0पी0 कश्यप तथा अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण श्री सुनील कुमार गंगवार एवं श्री संजय कुमार मिश्रा को सुना गया व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

उक्त दोनों प्रार्थना पत्र संबंधित होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं:–

निस्तारण प्रार्थना पत्र 71ख व प्रार्थना पत्र 75खः–

प्रार्थना पत्र 71ख अभियोजन की ओर से इस आशय का दाखिल किया गया है कि प्रकरण में सुशील कुमार पुत्र राम औतार निवासी ग्राम कुकहा महमूदपुर थाना निगोही जिला शाहजहॉपुर चोटहिल साक्षी है, जिसको फायर आर्म्स की चोटें आयी थीं तथा जिसका मेडिकल जिला अस्पताल में घटना के दिनांक 23.10.2014 को हुआ था। उक्त साक्षी को विवेचक ने न तो बतौर साक्षी गवाहन सूची में दर्ज किया, न ही उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 दर्ज किया गया। साक्षी सुशील कुमार मुकदमे का महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसका साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है। अतः उसे बतौर साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत होने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

विरोध में आपत्ति 72ख दाखिल करते हुए कहा गया है कि अभियोजन अद्यतन प्रकरण में साक्षी परीक्षित नहीं करा सका है। मुकदमें का वादी रज्जन, जो कि खुद चोटहिल साक्षी था, को अभियोजन ने जानबूझकर अन्य साक्षियों को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। चक्षुदर्शी साक्षी अमित व रिषभ को अभियोजन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर डिसचार्ज करा लिया है। धारा 155 साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियुक्तगण को साक्षीगण के पूर्व में धारा 161 दं0प्र0सं0 के दर्ज बयान से न्यायालय में दिये बयान को खंडित करने व विश्वसनीयता को परखने का अधिकार है। साक्षी सुशील का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित न होने से अभियुक्तगण को यह अवसर प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थना पत्र 75ख अभियोजन द्वारा इस कथन इस आशय का दाखिल किया गया है कि साक्षी आशीष मिश्रा पुत्र अरूण मिश्रा, जो मुलजिम का रिश्तेदार है, मुलजिम से मिल गया है तथा वह सही गवाही नहीं देगा। अतः उसे साक्ष्य से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थना पत्र के विरोध में मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया है कि अभियोजन मनगढ़ंत रूप से चोटहिल साक्षी को भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता तथा प्रकरण को विलंबित रख

Digitally signed by Saurabh Dwivedi
Date: 2021.01.06 17:11:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रहा है।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि लिखित तहरीर व एफ0आई0आर0 दोनों में सुशील कुमार का नाम है तथा सुशील कुमार को भी गोली मारे जाने की बात कही गयी है। सुशील कुमार का चिकित्सीय परीक्षण भी प्रकरण में किया गया है। अतः स्पष्ट रूप से सुशील कुमार प्रकरण में एक आवश्यक साक्षी है एवं मात्र पुलिस द्वारा गवाह न बनाये जाने के आधार पर उसे साक्ष्य हेतु तलब न किया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा। जहॉ तक साक्षी आशीष मिश्रा को उन्मोचित किये जाने का प्रश्न है, तो पुनः तहरीर व एफ0आई0आर0 में यह स्पष्ट है कि साक्षी आशीष के सिर पर बांके से प्रहार किया गया था, जिससे वह घायल हो गया था। इस प्रकार साक्षी आशीष भी एक चोटहिल साक्षी है। मात्र इस आधार पर कि वह अभियुक्तगण से मिल गया है, गवाही नहीं देगा, उसका साक्ष्य न कराया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा। यदि उक्त साक्षी प्रकरण से इतर बयानी भी करता है, तो अभियोजन के पास उसे खंडित कराये जाने हेतु न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा का अधिकार होगा। अतः चोटहिल साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब न किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के अनुक्रम में प्रार्थना पत्र 71ख स्वीकार किये जाने योग्य है व प्रार्थना पत्र 75ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 71ख स्वीकार किया जाता है व प्रार्थना पत्र 75ख निरस्त किा जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक **20.01.2021** को पेश हो। साक्षी तलब किया जाये।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय द्वितीय, शाहजहॉपुर।